भारत सरकार
पर्यावरण एवं वन मंन्त्रालय
उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय

वेज नम्बर 24-25,
दक्षिण मार्ग
सेक्टर 31 ऐ
चण्डीगढ़ ।

फाईल नम्बर:-9-PBC1240/2006-CHA / 3590

दिनांक 13.04.2007

सेवा मे,

विताायुक्त एवं सचिव (वन),
पंजाब सरकार, वन एवं वन्यजीव संरक्षण विभाग,
लधु सचिवालय, सेक्टर- 9,
चण्डीगढ ।

विषय:- Diversion of 21.534 hec of forest land for rehabilitation of Phillaur -Nagar -Rahon road from RD KM 0.00 to 33.600 B/S Forest Division Jalandhar at Phillaur, distt. Nawanshahr, Punjab.

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय में संम्बन्धित नोडल आफिसर पंजाब सरकार के पत्र संख्या FCA-1980/3281 /8340 दिनांक 04.12.2006 एवं दिनांक 29.03.2007 अवलोकन करें, जिसमें वन (सरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा- 2 के अधीन केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी गई है।

राज्य सरकार के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त उद्देश्य हेतु 21.534 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर प्रदान की जाती है:-

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नही जाएगी।
2. कम से कम वृक्ष/पौधें कटवाये जायेंगे जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 4392 वृक्ष12796 पौधें एवं 782 under size pole से अधिक नही होगी
3. प्रतिपूर्ती पौधारोपण प्रस्ताव के अनुसार Satluj Dhussi Bandh RD 103-120 on 10 hec. Bir Hargobindgarh on 10 hec. Bir Gill on 10 hec. Satluj Dhussi Band RD 18-30 & 45-55 B/S on 13.068 में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त रू 75,79,968/-(रू पच्हत्तर लाख उन्नास्सी हजार नौ सौ अडसठ मात्र) की राशि से किया जायेगा।

   प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए ।
4. प्रयोक्ता एजेंसी से यह अंडरटेकिंग भी ली जाए कि अगर NPV की दरों में बढोतरी होती है तो अतिरिक्त/अन्तरीय राशि अदा करने के लिए प्रयोक्ता एजैंसी बाध्य होगी ।
5. भारत सरकार पत्र संख्या 5-2/2006-FC दिनांक 20.05.2006 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार NPV तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकार के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या CA 1589, कारपोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपकरण) , ब्लाक -II भूतल सी.जी.ओ. काम्पलैक्स , फेज-1, लोधी रोड, नई दिल्ली-110 003 मे जमा कराया जाये ।
6. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।
7. यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।

Contd..2.

मन्त्रालय इस स्वीकृति को स्थगित/रद्ध कर सकता है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है। राज्य सरकार वन विभाग के माध्यम से इन शर्तों का पालन सुनिश्चित करेगा।

भवदीय्

(श्री कृष्ण सहरावत)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपिः-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, पंजाब सरकार, 17 , बेज बिल्डिग, सैक्टर 17, चण्डीगढ ।
2. निदेशक (FC), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, पर्यावरण भवन, सी जी ओ काम्पलेक्स लोधी रोड नई दिल्ली ।
3. Divisional Forest Officer,Jalandhar at Phillaur, Punjab.
4. Executive Engineer, Central Works Division No. 5,.PWD B&R, Ludhiana, Punjab.
5. गार्ड फाईल ।